



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218662
CG-DL-E-14032020-218662

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 933]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No. 933]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

का.आ. 1039(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1336(अ) दिनांक 18.04.2017 में जिसका प्रकाशन भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 1181 भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में भी दिनांक 27.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिला की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतयः उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला: ईस्ट गोदावरी राज्य: आन्ध्रप्रदेश					
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गोल्लप्रोलु	चिन्ना जगम्पेटा	48	00	26	98

[फा. सं.आर-11025(11)/252/2017-ओ आर-I/E-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2020

S.O. 1039(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Extraordinary Gazette of India No.1181 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 27.04.2017 *vide* S.O. Number 1336(E) dated 18.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in District East Godavari of Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

India Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE					
District : East Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gollaprolu	Chinna Jaggampeta	48	00	26	98

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.